

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना

राष्ट्रीय लोक अदालत

मूल वाद में डिक्री  
( ओ. 20 रूल 6 और 7 जाप्ता दीवानी )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मकराना  
बड़जलास - जे.पी. बैरवा आर.ए.एस.

वादी :-

गिरधारीसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी दिरढाणी  
तहसील मकराना जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. कुन्दन कंवर पत्नि खीवसिंह
2. खीवसिंह पुत्र हनुमानसिंह
3. सायर कंवर पत्नि भंवानीसिंह  
जाति सभी राजपूत निवासीगण दिरढाणी तहसील मकराना जिला  
नागौर (राज.)
4. भू-धारक तहसीलदार मकराना

राजस्व वाद सं. - 110/2021

दावा बाबत बंटवारा, अधिकारो की घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट

:: डिक्री ::

वाद वादी माफिक बंटवारा प्रस्तावानुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा दिरढाणी के खसरा संख्या 336 में से खसरा संख्या 336 के दक्षिणी तरफ रकबा 0.6450 हैक्ट. भूमि का गिरधारीसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत सा. देह, खसरा संख्या 336 के मध्य भाग का रकबा 1.4543 हैक्ट. भूमि का सायरकंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत सा. देह, खसरा संख्या 336 का उत्तरी तरफ रकबा 1.7707 हैक्ट. भूमि का कुन्दनकंवर पत्नि खीवसिंह हिस्सा 11257/17707 खीवसिंह पुत्र हनुमानसिंह के फोट होने से उनके वारिसान हिस्सा 6450/17707 जाति राजपूत सा. देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार मकराना को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीर जारी हो। रहन यथावत रहेगा। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री पर्चा का हिस्सा रहेगा।

इस वाद में खर्चे लेखे..निल. रुपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ... निल... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ....निल... के द्वारा ...निल... को दी जावेगी।

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
निल	निल	निल	निल

आज दिनांक 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।



*(Handwritten Signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
मकराना  
उपखण्ड अधिकारी  
मकराना